सन २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४.

वाचा :-

- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/ अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४.
- २) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४.
- ३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०१/ का-०६, दि.८.०४.२०२४, दि.३१.०५.२०२४, दि.२१.०६.२०२४, दि.१.०८.२०२४ व दि.२९.०८.२०२४.

प्रस्तावना:-

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या नुसार वित्त विभागामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित निधी प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० ते ७० टक्के मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत वित्त विभागाने अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता बाब क्रमांक ०३-अतिकालीन भत्ता, ६-दुरध्वनी,वीज व पाणी,१३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १९-आहार खर्च, २४-पेट्रोल तेल व वंगण, २८-व्यावसायीक सेवा, ५५-कर्ज व आगाऊ रक्कमा या बाबींकरीता ४० % मर्यादेतील; २१-पुरवठा व सामुग्री करीता ३०% मर्यादेतील; ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने करीता ५० % मर्यादेतील तर निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

या अनुषंगाने उक्त उद्दीष्टांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती

शासन निर्णय:-

आदिवासी विकास विभागाच्या "अनिवार्य खर्च" अंतर्गत मागणी क्र.टी-२, टी-४ व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

- ३. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्त इतर बाबी तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्यकतेनुसार निधी वितरणासाठी योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा.
- ४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०८२८१७३६१०२५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(किरण कि. पवार) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई
- २. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई
- ३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
- ४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
- ५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
- ६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर.
- ७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
- ८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- ९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
- ११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- १२. निवड नस्ती (का-६).

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी–२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन–६, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| | | | · · · | | (रू.हजारात) | | |
| अ.क्र. | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. | नियंत्रक | | |
| | | | साठीची | अन्वये वितरीत | अधिकारी | | |
| | | | अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत | | | |
| | | | तरतूद | असलेली तरतूद | | | |
| ٩ | २ | 3 | 8 | ч | દ્દ | | |
| मागणी क्रमांक-टी-२ | | | | | | | |
| २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, | | | | | | | |
| ०२-अनु | ुसूचित जमातीचे कल्याण, | | | | | | |
| 9 | (००) (०९) आदिवासी विकास आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५९०२५) | ०१-वेतन | ९५०००.०० | | आयुक्त, | | |
| | | ०३-अतिकालीन भत्ता | 9२५.०० | 97.04 | आदिवासी | | |
| | | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | 9000.00 | 900.00 | विकास, | | |
| | | ११-प्रवास खर्च | ٥٥.٥٥ | | नाशिक | | |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | २५००.०० | ३७५.०० | | | |
| | | १४-भाडेपट्टी व कर | २५०.०० | ३७.५० | | | |
| | | २८-व्यावसायीक सेवा | 9000.00 | 940.00 | | | |
| | | एकूण | १००६७५.०० | ६७५.२५ | | | |
| २ | (००) (०२) प्रादेशिक कार्यालये- जनजाती विकास आयुक्त(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) | ०१-वेतन | 944000.00 | | आयुक्त, | | |
| | | ०३-अतिकालीन भत्ता | 980.00 | 98.00 | आदिवासी | | |
| | | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | १६३५.०० | १६३.५० | विकास, | | |
| | | ११-प्रवास खर्च | 9488.00 | | नाशिक | | |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | ८६८२.०० | 9302.30 | | | |
| | | १४-भाडेपट्टी व कर | 98७२.०० | २२०.८० | | | |
| | | एकूण | 9 ६८४७३.०० | 9000.60 | | | |
| 3 | (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी | ०१-वेतन | £00000.00 | | आयुक्त, | | |
| | (अनिवार्य खर्च) | ०३-अतिकालीन भत्ता | 99६४.०० | 99६.६० | आदिवासी | | |
| | (लेखाशिर्ष २२२५१०४३) | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | ५०६०.०० | ५०६.०० | विकास, | | |
| | | ११-प्रवास खर्च | ९२२३.०० | | नाशिक | | |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | २६२६५.०० | 3939.04 | | | |
| | | १४-भाडेपट्टी व कर | ४८१६.०० | ७२२.४० | | | |
| | | एकूण | ६४६५२८.०० | ५२८४.७५ | | | |
| 8 | (००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र | ०१-वेतन | ९०००.०० | | आयुक्त, | | |
| | विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) | ०३-अतिकालीन भत्ता | 9.00 | 9.34 | आदिवासी, | | |
| | (लेखाशिर्ष २२२५१०५२) | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | ٥٥.১১ | ९.२० | संशोधन व | | |
| | | ११-प्रवास खर्च | 9२७.०० | | प्रशिक्षण संस्था, | | |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | १६८.०० | २५.२० | पुणे | | |
| | | एकूण | ९३९२.०० | ३५.७५ | | | |
| | i . | | · | l | <u> </u> | | |

| | | | | | (ক্ত.हजारात |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| OT | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | | 7777 TO C | (रू.हजारात |
| अ.क्र. | याजनय नाव | बाब/ उद्दाष्ट क्रमाक | सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. | ानयत्रक अधिकारी |
| | | | साठीची अर्थसंकल्पिय | अन्वये वितरीत करण्यात येत | आधकारा |
| | | | | | |
| | | | तरतूद | असलेली तरतूद | |
| ٩ | ? | 3 | 8 | 4 | Ę |
| 4 | (०५) (०१)- जनजाती संशोधन | ०१-वेतन | ५७९५४.०० | | आयुक्त, |
| | व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | ०३-अतिकालीन भत्ता | २३.०० | २.४५ | आदिवासी, |
| | (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | 300.00 | 30.00 | संशोधन व |
| | २२२५ १३०१) | ११-प्रवास खर्च | ५२०.०० | | प्रशिक्षण संस्था |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | ६२२.०० | رې.3o | पुणे. |
| | | १६-प्रकाशने | 90.00 | | |
| | | २६-जाहिरात व प्रसिद्धी | 9.00 | | |
| | | २८-व्यावसायीक सेवा | 9.00 | 0.80 | |
| | | एकूण | ५९५०१.०० | 9३३.9५ | |
| | एकूण मागणी क्रमांक टी-२ | | ९८४५६९.०० | ७८२९.५० | |
| | · · | मागणी क्रमांक-टी | T-8 | l | l |
| २२५१- | -सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | | | | |
| (9 | (००) (०१) आदिवासी विकास | ०१-वेतन | १६७८००.०० | | उप सचिव, |
| | विभाग (अनिवार्य खर्च) | ०३-अतिकालीन भत्ता | 9.00 | 0.94 | आ.वि.वि., |
| | (लेखाशिर्ष २२५१ ०२११) | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी | 900.00 | 90.00 | मंत्रालय, मुंबई |
| | | १०-कंत्राटी सेवा | 3400.00 | | |
| | | ११-प्रवास खर्च | 9200.00 | | |
| | | १२-परदेश प्रवास खर्च | 9.00 | | |
| | | १३-कार्यालयीन खर्च | 8000.00 | £00.00 | |
| | एकूण २२५१ ०२११ | एकूण | 9७६६०२.०० | ६ 90.94 | |
| | एकूण मागणी क्रमांक टी-४ | , g, , | 968809.00 | §90.99 | |
| | 7 gy -1 -11 -11 sy -11 -1 - 0 | <u>।</u> मागणी क्रमांक-टी | | 4 10.13 | |
| ins an | शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज | | | | |
| 96 10- | (००) २०१–घरबांधणी अग्रिमे– | । ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा | 020200.00 | U/0U2 /20 | भागतन |
| | 1 ' ' | पुष्-पाण प जागाळ १पामा | 9२९२००.०० | ४८०४२.८२० | आयुक्त, |
| | (००) (०१) घर बांधणी अग्रिमे | | | | आदिवासी |
| | (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष | | | | विकास, |
| | ७६१० ०९९१) | | | 04324 | नाशिक |
| | | | 80000.00 | १४३९५.५० | उप सचिव, |
| | | | | | आ.वि.वि., |
| | | | | | मंत्रालय, मुंबई |
| | | | 9(90000.00 | ६२४३८.३२० | |

| | आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|---|--|--|--|--|
| (रू.हजारात) | | | | | | | |
| अ.क्र. | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२४-२५ साठीची अर्थसंकल्पिय तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी | | |
| ٩ | २ | 3 | 8 | y | ધ | | |
| | (००) २०२- मोटार वाहने खरेदी अग्रिमे- (००) (०१) मोटार वाहने खरेदी अग्रिम (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ७६१० १००२) | ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा | ५५२.०० | ξο. ζο | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक | | |
| | | | oo.১४७P | १६९.२० | उप सचिव, आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई | | |
| | | | २३००.०० | 230.000 | | | |
| | (००) २०४- संगणक खरेदी अग्रिमे- (००) (०९)संगणक खरेदी अग्रिमे(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ७६९० १०२९) | ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा | ६३२.०० | ६ ३.८० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक | | |
| | | | oo.১0P | 90.२० | उप सचिव, आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई | | |
| | | | 09.00 | ۷٩.००٥ | | | |
| | एकूण मागणी क्रमांक टी-८ | | 903990 | ६२७४९.३२० | | | |
| | एकूण अनिवार्य खर्च (मागणी क्र.टी-२+४+८) | | 9३३४२८9 | ७११८८.९७० | | | |